आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

बिजली का निजीकरण समाज के हितों के विरुद्ध है

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का संघर्ष पूरी तरह जायज़ है

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के द्वारा
मई से अगस्त 2022 के बीच प्रकाशित लेखों का संकलन

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
नई दिल्ली
www.cgpi.org

देशभर के बिजली क्षेत्र के मज़दूर पिछले कुछ महीनों से बिजली के निजीकरण का विरोध करते आ रहे हैं। उनके धरने-प्रदर्शनों की कुछ तस्वीरें इस पुस्तिका में शामिल की गयी हैं।

जम्मू और कश्मीर

चंडीगढ़

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

बिजली का निजीकरण समाज के हितों के विरुद्ध है

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का संघर्ष पूरी तरह जायज़ है

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के द्वारा
मई से अगस्त 2022 के बीच प्रकाशित लेखों का संकलन

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
नई दिल्ली
www.cgpi.org

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का चंडीगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन, 19 मार्च, 2022

बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 के ख़िलाफ़ दिल्ली में बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का राष्ट्रीय अधिवेशन, 2 अगस्त, 2022

प्रकाशक की टिप्पणी

बिजली क्षेत्र के मज़दूर निजीकरण के ख़िलाफ़ एक जुझारू संघर्ष कर रहे हैं। मज़दूरों की विभिन्न यूनियनें और फेडरेशनें, जिनमें इंजीनियरिंग और तकनीकी मज़दूरों के संगठन शामिल हैं, वे एक झंडे तले आकर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के मौजूदा स्वरूप को वापस लिया जाये।

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने ज़ोर दिया है कि बिजली का निजीकरण समाज के आम हितों के विपरीत है। इस आधार पर उन्होंने अपने आंदोलन के लिये बिजली उपभोक्ताओं, यानी कि देश के लोगों से सफलतापूर्वक समर्थन जुटाया है। तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में एक साल से भी ज्यादा समय तक आंदोलन करने वाले किसानों की भी यह एक अहम मांग रही है। देश के हर इलाके में बिजली के उपभोक्ता बिजली की ऊंची दरों का विरोध करते आये हैं। देश के अलग–अलग हिस्सों में अपने बहादुर संघर्ष के ज़रिये बिजली मज़दूरों ने सरकार द्वारा बिजली सप्लाई के पूर्ण निजीकरण पर अंकुश लगाया है।

यह पुस्तिका हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की वेब साईट (hindi.cgpi.org) पर मई और अगस्त, 2022 के बीच, बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ प्रकाशित छः लेखों का संकलन है। लेखों को प्रकाशन के लिये संपादित किया गया है। सरकार द्वारा निजीकरण के पक्ष में किये गये दावों को इन लेखों में झूठा साबित किया गया है। इन लेखों से इस सच्चाई का पर्दाफ़ाश होता है कि इजारेदार पूंजीपति ही निजीकरण के कार्यक्रम को आगे धकेल रहे हैं। लेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि निजीकरण के कार्यक्रम को परास्त करना ज़रूरी भी है और मुमकिन भी।

प्रथम प्रकाशन नवंबर, 2022
इस दस्तावेज़ के किसी भी अंश को प्रकाशक की अनुमति से और स्रोतों को उचित मान्यता देते हुए, अनुवाद किया जा सकता है या पुनः प्रकाशित किया जा सकता है।

मूल्य : 50 रुपये

प्रकाशक :
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2
नई दिल्ली–110020

वितरक :
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2
नई दिल्ली–110020
ईमेल : lokawaz@gmail.com
फोन : +91 9868811998, 9810167911

विषय सूची

24 मई, 2022
बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का संघर्ष पूरी तरह जायज़ है!
बिजली का निजीकरण जन–विरोधी है! 1

25 मई, 2022
बिजली की आपूर्ति का संकट और उसका असली कारण 7

14 जुलाई, 2022
हिन्दोस्तान में बिजली की आपूर्ति का ऐतिहासिक
विकास 1947 से 1992 15

14 जुलाई, 2022
बिजली के उत्पादन का निजीकरण – झूठे दावे और
असली उद्देश्य 21

22 जुलाई, 2022
बिजली के वितरण का निजीकरण – झूठे दावे और
असली उद्देश्य 27

9 अगस्त, 2022
बिजली एक सामाजिक आवश्यकता है और एक
सर्वव्यापी मानव अधिकार है 37

निजीकरण के विरोध में
हाल के कुछ प्रकाशन

भारतीय रेल का निजीकरण हमें मंजूर नहीं

कीमत 20 रूपये

हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध

बैंकों का विलय और निजीकरण

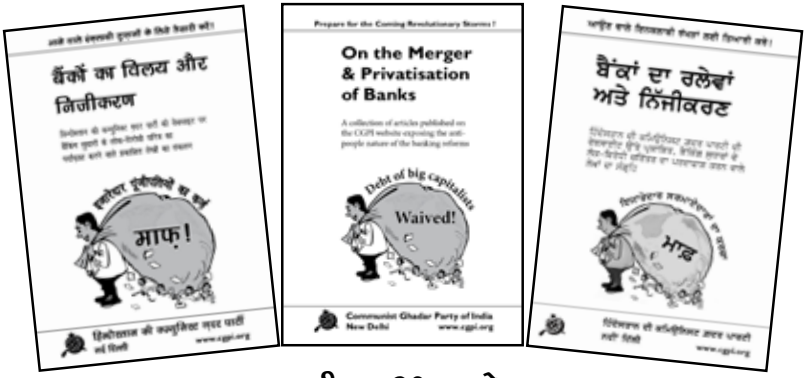

कीमत 20 रूपये

हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का संघर्ष बिल्कुल जायज़ है!

बिजली का निजीकरण जन–विरोधी है!

बिजली मानव जीवन की मूलभूत ज़रूरतों में से एक है। इसलिए इस मूलभूत आवश्यकता के उत्पादन और वितरण का उद्देश्य निजी मुनाफ़ा कमाना नहीं हो सकता

बिजली उत्पादन और वितरण का पूरी तरह से निजीकरण करने के लिए, क़ानून लागू करने के लिये बार–बार किये जा रहे प्रयासों के ख़िलाफ़, बिजली क्षेत्र के लाखों मज़दूर लगातार जुझारू संघर्ष कर रहे हैं।

बिजली संशोधन विधेयक 2021, सरकार का चौथा ऐसा प्रयास है। इस विधेयक को 2014, 2018 और 2020 में भी अलग–अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अभी भी इसे संसद में पेश किया जाना बाकी है।

अगस्त 2021 में पूरे देश के बिजली मज़दूरों ने बिजली संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ और बिजली की आपूर्ति के निजीकरण के कार्यक्रम के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन आयोजित किये।

निजीकरण के ख़िलाफ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कई हिस्सों में राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन किये गए हैं और वे अभी भी जारी हैं।

पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में, बिजली वितरण के निजीकरण के ख़िलाफ़ फरवरी 2022 में बिजली क्षेत्र से जुड़े सभी मज़दूरों ने हड़ताल की, जिसका बहुत ज्यादा असर उस शहर की बिजली आपूर्ति पर हुआ।

जम्मू और कश्मीर में बिजली बोर्ड के मज़दूरों ने दिसंबर 2021 में ख़राबी को ठीक करने के काम का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया। जिसकी वजह से उनसे तुरंत बातचीत करने के लिये केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा और उस केंद्र–शासित प्रदेश में बिजली की आपूर्ति के निजीकरण की योजना को स्थगित करने के लिए सरकार सहमत हुई।

पूरे देश में बिजली कर्मचारियों के व्यापक विरोध और हड़तालों के चलते, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिजली संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने के अपने इरादे को टाल दिया है।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस 21वीं सदी में बिजली मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। बिजली के बिना बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भी असंभव है। मज़दूर यूनियनों ने इस बात को बार–बार दोहराया है।

आज के युग में बिजली सभी मनुष्यों की एक अनिवार्य ज़रूरत है। यह एक सर्वव्यापक अधिकार है। इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी को उचित दरों पर बिजली की पर्याप्त

त्रिपुरा

और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करे। बिजली की आपूर्ति का निजीकरण, राज्य द्वारा अपने इस कर्तव्य की अवहेलना करने के बराबर है। सस्ती दरों पर विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति का न होना लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

सरकार इस मुद्दे पर मज़दूरों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने से इंकार कर रही है। यह दिखाता है कि बिजली आपूर्ति के निजीकरण के ख़िलाफ़ मज़दूरों के अकाट्य तर्कों का पूंजीपति वर्ग के पास कोई मुमकिन जवाब नहीं है।

बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में निजीकरण का कार्यक्रम 1990 के दशक में शुरू हुआ था। विभिन्न देशी–विदेशी निजी कंपनियों के साथ बिजली की ख़रीद के दीर्घकालिक समझौतों पर अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। इसके ज़रिये बिजली के उत्पादन में निवेश करने वाले इजारेदार पूंजीपतियों को भारी निजी मुनाफ़ा प्राप्त हुआ। इन समझौतों का नतीजा था कि राज्य बिजली बोर्डों को बिजली

ख़रीदने के लिए, निजी कंपनियों को अत्याधिक क़ीमतें देनी पड़ीं। इसके फलस्वरूप, उन दरों में भी भारी वृद्धि हुई, जिसका भुगतान किसानों और शहरी मज़दूरों को बिजली के लिए करना पड़ता था।

केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं और विभिन्न पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों का दावा है कि बिजली के वितरण का निजीकरण करने से ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों के बीच में से चयन करने की आज़ादी मिलेगी। उनका दावा है कि यह क़दम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाएगा, जिससे बिजली की आपूर्ति अधिक कुशल और विश्वसनीय तथा सस्ती दरों पर होगी।

वितरण के निजीकरण का अब तक का अनुभव इन समर्थकों के दावों की पुष्टि नहीं करता। उदाहरण के लिए, मुंबई शहर में बिजली की आपूर्ति करने वाली दो निजी कंपनियां और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, परन्तु उस शहर में बिजली की दरें देश में सबसे महंगी हैं। दिल्ली के अलग–अलग इलाकों में बिजली पर इजारेदार पूंजीवादी घरानों, टाटा और रिलायंस की मालिकी वाली दो अलग–अलग कंपनियों का नियंत्रण है। दिल्ली में कोई भी परिवार अपनी पसंद की बिजली वितरण कंपनी का चयन नहीं कर सकता। वे इस या उस निजी इजारेदार कंपनी की दया पर ही निर्भर हैं।

बिजली संशोधन विधेयक का उद्देश्य है निजी कंपनियों के लिए कम जोखिम के साथ, उच्चतम मुनाफ़े कमाने के अवसर पैदा करना। यानी कि बुनियादी ढांचे में पूंजी का निवेश किये बिना ही, सिर्फ मुनाफ़े कमाने के मौके प्रदान करना। विधेयक की एक धारा में कहा गया है कि :

"आपूर्ति के किसी भी इलाके में, एक वितरण कंपनी को अपनी वितरण–प्रणाली के ज़रिये, सभी पंजीकृत वितरण कंपनियों को बिजली की पहुंच बिना भेदभाव के देनी होगी ..."।

इसका मतलब यह हुआ कि जनता के पैसे से बनाया गया विशाल नेटवर्क, जो इस समय राज्य बिजली बोर्डों के नियंत्रण में है, उसे बड़े पूंजीपतियों को लगभग मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

मज़दूरों की यूनियनों ने बार–बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह विधेयक मज़दूरों, किसानों और कम आय वाले अन्य उपभोक्ताओं की ज़रूरतों की आपूर्ति करने की बजाय, निजी कंपनियों के हितों की सेवा करने के लिए बनाया गया है। बिजली वितरण को लाइसेंस मुक्त करने का मतलब है पूंजीवादी कंपनियों को अपने ग्राहकों को चुनने की आज़ादी देना और ग्राहकों से महंगी दरें वसूलने की आज़ादी देना।

बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में, किसानों की यूनियनों ने मज़दूरों की यूनियनों से हाथ मिला लिया है। किसानों को इसका एहसास है कि उनके पानी के पंप को चलाने के लिए बिजली बहुत महंगी हो जाएगी।

राज्य बिजली बोर्डों के मज़दूरों ने शहरी परिवारों को बिजली उत्पादन और वितरण दोनों के निजीकरण से होने वाले हानिकारक नतीजों के बारे में जागरुक करना शुरू कर दिया है।

बिजली मज़दूरों के संघर्ष को अर्थव्यवस्था के सभी भागों के मज़दूरों का पूरा–पूरा समर्थन मिलना चाहिए। इस संघर्ष को

उन सभी का समर्थन मिलना चाहिए जो अपने समाज के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। वर्तमान में हमारे समाज को इजारेदार पूंजीपतियों और उनकी खुदगर्ज पार्टियों द्वारा एक ख़तरनाक रास्ते पर ले जाया जा रहा है।

निजीकरण के ख़िलाफ़ किया जा रहा संघर्ष, इजारेदार घरानों के नेतृत्व में पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों का संघर्ष है। अधिकतम मुनाफ़े के भूखे, इजारेदार पूंजीपतियों की लालच से समाज को मुक्त कराने के नज़रिये के साथ इस संघर्ष को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए मज़दूर वर्ग को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेने और बड़े पैमाने पर उत्पादन के साधनों की मालिकी का सामाजीकरण करने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही, अर्थव्यवस्था को नयी दिशा दिलाई जा सकेगी। इस दिशा का उद्देश्य होगा समाज के सभी सदस्यों के सम्मानजनक मानव जीवन के लिए सभी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करना।

हैदराबाद, तेलंगाना

बिजली–आपूर्ति का संकट और उसका असली कारण

देश के बहुत से स्थानों पर बिजली की कमी की गंभीर समस्या है क्योंकि थर्मल पॉवर प्लांटों (ताप बिजलीघरों) के पास आवश्यक बिजली का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त कोयला नहीं है। इजारेदारों के नियंत्रण वाली मीडिया इस बात को लेकर भ्रम पैदा कर रही है कि बिजली की कमी के लिए कौन और क्या ज़िम्मेदार है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.), को पर्याप्त कोयले का उत्पादन न करने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है और कोयले को थर्मल पावर प्लांटों तक तुरंत न पंहुचाने के लिए भारतीय रेल को दोषी ठहराया जा रहा है। बिजली मंत्री ने संकट के लिए यूक्रेन में चल रहे युद्ध को ज़िम्मेदार ठहराया है, लेकिन संकट तो युद्ध के पहले, अक्तूबर 2021 से ही मौजूद था।

बिजली उत्पादन और कोयला उत्पादन का निजीकरण ही इस संकट की जड़ है।

बिजली उत्पादन का निजीकरण

बिजली उत्पादन के निजीकरण के कार्यक्रम को लागू करने का नतीजा है कि मार्च 2022 तक, हिन्दोस्तान में बिजली की स्थापित उत्पादन क्षमता का 49 प्रतिशत अब निजी क्षेत्र में है।

निजी इजारेदारों के स्वामित्व वाले अधिकांश थर्मल पॉवर प्लांट आयात किये गए कोयले से चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कोयले की क़ीमतों में तेज़ी आई है।

अधिक से अधिक मुनाफ़ा बनाने की लालच के कारण, थर्मल पॉवर प्लांटों के मालिक इजारेदार पूंजीपतियों ने कोयला आयात करके बिजली पैदा करने और सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के साथ पहले से किये गए करार के अनुसार तय की गयी दरों पर बिजली की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। इस तरह उन्होंने जानबूझकर बिजली की कमी की हालतें पैदा कीं। बिजली उत्पादन में भारी कमी पैदा करने की अपनी इस भूमिका को सही ठहराने के लिए, इन इजारेदार पूंजीपतियों ने मीडिया के माध्यम से लगातार यह प्रचार अभियान चलाया है कि वे घाटे में चल रहे हैं और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उन्हें भुगतान की जाने वाली क़ीमतों में सरकार को वृद्धि करनी चाहिए।

6 मई को सरकार ने बिजली अधिनियम की धारा 11 को लागू किया, जिसके तहत उसने आयातित कोयले से चलने वाले सभी थर्मल पॉवर प्लांटों को बिजली पैदा करने के लिए कहा। साथ ही, सरकारी आदेश ने इन इजारेदार पूंजीपतियों की उस मांग को भी मंजूरी दी कि बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य उन्हें गारंटीशुदा मुनाफ़ा सुनिश्चित करेगा। इसीलिये सरकार ने घोषणा

कोठगुडम, तेलंगाना

की कि आयात किये जाने वाले कोयले से चलने वाले थर्मल पॉवर प्लांटों द्वारा उत्पादित बिजली के लिए नयी दरें एक समिति द्वारा तय की जाएंगी जिसमें बिजली मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग शामिल होंगे।

हिन्दोस्तान में आयात किये जाने वाले कोयले पर चलने वाले थर्मल पॉवर प्लांटों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 17,600 मेगावाट है। हालांकि इस समय केवल 10,000 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन किया जा रहा है। पूंजीपति मालिकों का दावा है कि आयात किये जाने वाले कोयले की क़ीमत इतनी बढ़ गई है कि अगर बिजली वितरण कंपनियों को पहले से तय की गयी दरों पर उन्हें बिजली की आपूर्ति करनी पड़ी, तो वे मुनाफ़ा नहीं कमा पायेंगे। सरकार द्वारा दरों में वृद्धि की उनकी मांगों को पूरा करने के बाद, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में एस्सार पावर, कोस्टल एनर्जी, सी. एल.पी. इंडिया और आई.एल. एंड एफ.एस. के थर्मल पॉवर प्लांटों में बिजली के उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

इस बीच आयातित कोयले से थर्मल पॉवर प्लांटों को चलाने वाली दो बड़ी कंपनियों – टाटा पावर और अडानी पावर से भी अपेक्षा की जा रही है कि वे बिजली उत्पादन शुरू कर देंगी। गौरतलब है कि, इन कंपनियों ने दो साल पहले अपने प्लांट इसीलिये बंद कर दिये थे, क्योंकि वे पहले से तय की गयी शर्तों पर राज्य वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए राज़ी नहीं थीं।

ये सभी प्लांट, सरकार द्वारा तय की गई नई दरों पर ही बिजली की ख़रीद का समझौता करने वालों को बिजली की सप्लाई करेंगे।

इस तरह, बिजली क्षेत्र में इजारेदार पूंजीपति उपभोक्ताओं का भारी नुक़्सान करके अपने लिए मोटा मुनाफ़ा सुनिश्चित कर रहे हैं।

कोयला खनन का निजीकरण

अप्रैल 2022 में, राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने कोयले के अपने उत्पादन लक्ष्य को 100 प्रतिशत पूरा किया। जबकि इजारेदार पूंजीवादी समूहों – अडानी, जिंदल और बिड़ला के स्वामित्व वाली निजी कंपनियों ने अपने लक्ष्य से 50 प्रतिशत से भी कम का उत्पादन किया।

कोयला खनन क्षेत्र के इन इजारेदार पूंजीपतियों ने जानबूझकर अपनी खदानों को आधी से भी कम क्षमता पर चलाया और थर्मल बिजली उत्पादन क्षेत्र के इजारेदार पूंजीपतियों ने अत्यधिक ऊंची क़ीमतों का हवाला देते हुए कोयले के आयात को बंद कर दिया। इस तरह से, थर्मल पावर प्लांटों को चलाने के लिए कोयले की सख़्त कमी की हालतें जानबूझकर बनाई गईं।

इन इजारेदार पूंजीपतियों ने जानबूझकर बिजली की सख़्त कमी की हालतें इसीलिये पैदा कीं क्योंकि वे अपने थर्मल पॉवर प्लांटों से पैदा होने वाली बिजली की बिक्री की दर को बढ़ाना चाहते थे और वे यह भी चाहते थे कि विदेशों में उनकी निजी खदानों से कोयले के आयात को प्राथमिकता दी जाये।

पिछले एक दशक और उससे भी अधिक समय से, सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों में से कुछ ने, जिनके पास बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने विदेशों में कोयला खदानें ख़रीदी हैं। टाटा स्टील ने मोज़ाम्बीक में कोयला खदानों में निवेश किया है और टाटा पावर ने इंडोनेशिया में कोयला खदानों में निवेश किया है। अडानी का ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में कोयला खदानों में बड़ा निवेश है। जिंदल स्टील एंड पावर और एस्सार एनर्जी दोनों ने मोज़ाम्बीक में कोयला खदानों में निवेश किया है। जी.वी.के. ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया में कोयले में निवेश है। ये सभी इजारेदार पूंजीपति, इन खदानों से हिन्दोस्तान को कोयला बेचकर भारी मुनाफ़ा कमा रहे हैं।

इससे पहले अप्रैल में, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि सरकारी स्वामित्व वाले संयंत्रों सहित, हिन्दोस्तान के सभी थर्मल पावर प्लांटों को कोल इंडिया द्वारा उत्पादित कोयले के साथ मिश्रित करने के लिए आयात किये जाने वाले कोयले का कम से कम 10 प्रतिशत उपयोग करना चाहिए। इसके बाद राज्य सरकारों ने कोयला आयात करने की योजना की घोषणा की। महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि वह 1 करोड़ टन कोयले का आयात करेगा। गुजरात ने दस लाख टन का ऑर्डर दे दिया है। तमिलनाडु ने घोषणा की कि वह 15 लाख टन आयात करेगा और अपने थर्मल प्लांटों में इस्तेमाल होने वाले कुल कोयले का

20 प्रतिशत आयात किये गये कोयले से लेगा। कुल मिलाकर, इन तीनों राज्यों में देशभर की बिजली की कुल मांग का एक तिहाई हिस्सा है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों से भी एक करोड़ टन कोयले का आयात करने को कहा है। पंजाब 6.25 लाख टन कोयले का आयात करने पर राज़ी हो गया है।

इतने बड़े पैमाने पर कोयले का आयात करने के निर्णय को एक सख़्त ज़रूरत के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोल इंडिया द्वारा कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है।

लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक के बाद एक, सभी सरकारें जानबूझकर कोल इंडिया का निजीकरण करना तथा उसे बर्बाद करने की नीति अपनाती रही हैं। यह सब कोयला खनन और ऊर्जा क्षेत्र के इजारेदार पूंजीपतियों के मंसूबों को पूरा करने के लिये, उनके हित में किया जा रहा है। लेकिन निजीकरण के ख़िलाफ़, कोयला मज़दूरों के बहादुर संघर्ष ने पूंजीपतियों की योजनाओं पर पानी फेर दिया है।

कोयले के बढ़ते आयात से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कोयले के मूल्य में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि हिन्दोस्तान दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है।

हिन्दोस्तान के इजारेदार पूंजीपति जिनके पास विदेशों में कोयले की निजी खदानें हैं, इससे उन्हें भारी मुनाफ़ा होगा। हिन्दोस्तान के लोगों को बिजली के लिए बहुत अधिक दाम का भुगतान करने को मजबूर किया जाएगा। सरकार के स्वामित्व वाले सभी थर्मल पावर प्लांटों को आयात किया गया कोयला

ख़रीदने के लिए मजबूर करके, सरकार इजारेदार पूंजीपतियों की अधिकतम मुनाफ़ा बनाने की लालच को पूरा कर रही है।

रेल परिवहन

इजारेदारी नियंत्रण वाली मीडिया, भारतीय रेल को थर्मल पावर प्लांटों को, कोयले की सप्लाई समय पर सुनिश्चित करने में, विफल रहने के लिए कथित तौर पर दोषी ठहरा रहा है।

लेकिन सच्चाई तो यह है कि दिन–रात मेहनत कर रहे रेल मज़दूर सुनिश्चित करते आ रहे हैं कि खदानों से थर्मल पावर प्लांटों तक कोयले को कम से कम समय में पहुंचाया जाए।

कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे के 1,13,880 वैगनों का उपयोग हो रहा है – खुले वैगनों की कुल संख्या का 86 प्रतिशत। रोज़ाना करीब 28,470 वैगन लोड किए जा रहे हैं। तेज़ी से ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए, कोयला उत्पादक राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में 122 स्थानों से, एक के बाद एक तीन से पांच ट्रेनें तुरंत भेजी जा रही हैं। कोयला ढोने वाली प्रत्येक ट्रेन में लगभग 84 वैगन होते हैं। कोयला ट्रेनों की तेज़ आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

2021–22 में रेलवे ने 65.3 करोड़ टन कोयला ढोया है, जो कि 2020–21 की तुलना में लगभग 20.4 प्रतिशत अधिक है। रेलवे द्वारा ढोये गए 65.3 करोड़ टन कोयले में से लगभग 83 प्रतिशत या लगभग 54.04 करोड़ टन, थर्मल पावर प्लांटों के लिए था। निजीकरण के समर्थकों के झूठे प्रचार के बावजूद

रेल कर्मचारी, मौजूदा संकट में कोयला खदानों से कोयले की ढुलाई का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर काम कर रहे हैं।

निष्कर्ष

मौजूदा बिजली संकट किसी भी क़ीमत पर जनता से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की इजारेदार पूंजीपतियों की हवस का नतीजा है। ये संकट देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान दिशा का अवश्यंभावी परिणाम है, जिसका मक़सद है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय इजारेदार पूंजीपतियों की लालच की हवस को पूरा करना। यह बिजली उत्पादन और कोयला खनन के निजीकरण के कार्यक्रम का नतीजा है, जिसका उद्देश्य है सामाजिक उत्पादन की इन ज़रूरी शाखाओं को, हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के लिए, अधिकतम निजी मुनाफ़ों के स्रोतों में परिवर्तित करना।

विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश

हिन्दोस्तान में बिजली की आपूर्ति का ऐतिहासिक विकास 1947 से 1992

आज हमारे देश में बिजली के उत्पादन और वितरण के संबंध में आधिकारिक स्थिति, सरकार द्वारा 1947 में घोषित की गई स्थिति के विपरीत है। उस समय यह घोषणा की गई थी कि सभी को और पूरे देश में सस्ती दर पर बिजली प्रदान करने की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य को लेनी चाहिए। बिजली क्षेत्र के लिए इस नीति को पूरी तरह से क्यों पलट दिया गया है? इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए, हमारे देश में पूंजीपति वर्ग और पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के संदर्भ में बिजली क्षेत्र के विकास के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है।

जब हिन्दोस्तान 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब देश में बिजली उत्पादन की क्षमता केवल 1,362 मेगावाट थी। मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन और वितरण निजी कंपनियों द्वारा किया जाता था। केवल कुछ शहरी केंद्रों में ही बिजली उपलब्ध होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में बिजली नहीं थी। बिजली ऊर्जा क्षेत्र के

नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश

उत्पादन और वितरण में तेज़ी से वृद्धि करना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पूंजीवाद के विकास के लिए एक आवश्यकता थी।

1947 के बाद, बिजली क्षेत्र के लिए अपनाई गई नीति, बॉम्बे प्लान नामक दस्तावेज़ के अनुरूप तैयार की गई थी। इस प्लान को टाटा, बिरला और अन्य बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा 1944–45 में तैयार किया गया था। उस समय, हिन्दोस्तान के सबसे धनी पूंजीपतियों के पास भी ऊर्जा, भारी उद्योग और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचों में निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। उन्होंने प्रस्ताव किया कि केंद्र सरकार को बिजली के उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण सहित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना चाहिए। बड़े पूंजीपति उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां पूंजी की आवश्यकता कम है और अपेक्षित लाभ उच्च और त्वरित हैं।

1948 का विद्युत अधिनियम बॉम्बे योजना की सिफ़ारिशों पर आधारित था। हिन्दोस्तानी संघ के सभी राज्यों में राज्य विद्युत बोर्ड (एस.ई.बी.) का गठन किया गया था। उन्हें उस राज्य के हर में बिजली की आपूर्ति के लिए ज़िम्मेदार बनाया गया था।

इसके अतिरिक्त, 1948 के अधिनियम में निजी लाइसेंसधारियों को संबंधित राज्य सरकार/एस.ई.बी. द्वारा उन्हें नियुक्त किये गए क्षेत्रों में विद्युत वितरण और/अथवा उत्पादन करने की भी अनुमति दी गई थी। इसने यह सुनिश्चित किया कि टाटा समूह, जो मुंबई में बिजली का उत्पादन और वितरण कर रहा था और कोलकाता में बिजली वितरित करने वाला गोयंका समूह, दोनों ही राज्य क्षेत्र के तहत बिजली का उत्पादन और वितरण करने वाली सरकारी कंपनियों के साथ–साथ, अपना संचालन जारी रख सकते हैं और बड़े हो सकते हैं।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प (इंडस्ट्रियल पालिसी रेसोल्यूशन) ने दोहराया कि बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण लगभग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में होगा। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों – नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन.टी.पी.सी.), नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एन.एच.पी.सी.), नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (एन.पी.टी.सी.) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (पी.जी.सी.) द्वारा, उत्पादन संयंत्रों और पारेषण लाइनों की स्थापना में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का निवेश किया गया था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (बी.एच.ई.एल.) की स्थापना बिजली उत्पादन उपकरणों के निर्माण के लिए की गई थी।

सरकारी कंपनियों पर निर्भरता की नीति तब तक जारी रही, जब तक हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों को इससे फ़ायदा था। 1980 के दशक में, पश्चिमी साम्राज्यवादी राज्यों ने विश्व बैंक और आई.एम.एफ. के ज़रिये, हिन्दोस्तान पर आयात शुल्क को कम करने और विदेशी पूंजी निवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने के लिए जबरदस्त दबाव डाला था। टाटा, बिरला और अन्य औद्योगिक घरानों ने विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करके अपने घरेलू साम्राज्यों का निर्माण किया था। अब उन्होंने उन प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता को पहचान लिया है, ताकि वे भी वैश्विक स्तर पर दूसरे इजारेदार पूंजीपतियों के साथ स्पर्धा कर सकें। लेकिन, वे हिन्दोस्तानी बाज़ार को बहुत तेज़ी से नहीं खोलना चाहते थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को धीरे–धीरे विदेशी वस्तुओं और विदेशी पूंजी के लिए खोलने की नीति अपनाई।

सोवियत संघ के विघटन के साथ–साथ, विश्व स्तर पर अचानक हुए कई प्रमुख परिवर्तनों के साथ 1990 के दशक की शुरुआत हुई। विश्व क्रांति की लहर ज्वार से भाटे में बदल गयी। हमारे देश में पूंजीवाद का विकास उस स्तर पर पहुंच गया था, जब हिन्दोस्तान के इजारेदार पूंजीवादी घरानों ने देश में विदेशी पूंजी निवेश को एक ऐसे कारक के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जो उनके स्वयं के वैश्विक विस्तार को तेज़ कर सकता था। हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों के दृष्टिकोण में हुए इस परिवर्तन की वजह से, उन्होंने 1991 में उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के कार्यक्रम को खुले तौर पर अपनाया। उन्होंने समाजवादी नमूने के समाज के निर्माण के सभी ढोंग को छोड़ दिये। उन्होंने साम्राज्यवादी मंत्र को

दोहराया कि हर किसी को बाज़ार में खुद की देखभाल करनी चाहिए और राज्य की ज़िम्मेदारी है केवल एक अनुकूल निवेश का वातावरण बनाना। जिसका अर्थ है कि किसी भी देश के पूंजीपतियों के लिए निवेश करने और अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।

अपने निजी साम्राज्यों के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग करने के बाद, इजारेदार पूंजीवादी घरानों ने फ़ैसला किया कि, अब समय आ गया है कि वे अपने निजी साम्राज्यों का विस्तार करने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को कौड़ियों के दाम पर हड़प लें। विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करके अपने औद्योगिक आधार का निर्माण करने के बाद, उन्होंने फ़ैसला किया कि अब उन प्रतिबंधों को हटाने का समय आ गया है, ताकि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें।

संक्षेप में, आज़ादी के बाद हिन्दोस्तान में सरकारी नीतियों, क़ानूनों और नियमों की प्रेरक शक्ति हमेशा से सबसे अमीर इजारेदार पूंजीपतियों के निजी मुनाफ़ों को बढ़ाना रही है।

शुरुआती दशकों में, सरकारी कंपनियों को बनाने और विस्तारित करने की नीति ने औद्योगिकीकरण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का काम किया, ताकि औद्योगिक घराने उपभोग की विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाज़ार पर हावी हो सकें और अधिकतम मुनाफ़े प्राप्त कर सकें। वर्तमान अवधि में, निजीकरण और उदारीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के एजेंडे से इजारेदार पूंजीवादी मुनाफ़ों को अधिकतम करने की हवस को पूरा किया जा रहा है।

इजारेदार पूंजीपतियों ने अपने हित के अनुसार, 1948 में बिजली के उत्पादन से लेकर वितरण तक को राज्य की ज़िम्मेदारी में रखने की नीति लागू करवाई थी। 1991 के बाद से, फिर इजारेदार पूंजीपतियों के हित में ही, निजीकरण के कार्यक्रम को निर्धारित किया जा रहा है। जब इजारेदार पूंजीपति आवश्यक निवेश का खर्च नहीं उठा सकते थे तो वे चाहते थे कि सार्वजनिक धन का निवेश बिजली क्षेत्र में किया जाए। अब, जब उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया है, तो वे चाहते हैं कि सरकारी कंपनियां उन्हें सौंप दी जाएं।

विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश

बिजली के उत्पादन का निजीकरण – झूठे दावे और असली उद्देश्य

1992 में स्वतंत्र बिजली उत्पादक नीति (आई.पी.पी.) की शुरुआत के साथ, बिजली का उत्पादन हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपतियों के लिए खोल दिया गया था। 1992 से पहले, बिजली का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जाता था।

सरकार ने दावा किया था कि निजी क्षेत्र के प्रवेश से यह सुनिश्चित होगा कि बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। यह भी दावा किया गया था कि बिजली की आपूर्ति अधिक विश्वसनीय हो जाएगी और कम क़ीमत पर उपलब्ध होगी।

30 साल बाद न तो बिजली की कमी दूर हुई और न ही बिजली सस्ती हुई। पिछले 12 महीनों में देश को दो बार, अक्तूबर 2021 में और अप्रैल–मई 2022 में, बिजली की कमी के संकट का सामना करना पड़ा। किसानों को अब भी अपने सिंचाई के पंपों को चलाने के लिए रात में ही बिजली मिलती है।

अक्तूबर 2021 के संकट के दौरान बिजली को 20 रुपये प्रति यूनिट के उच्चतम दर पर ख़रीदा और बेचा गया था!

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 25 वर्षों के बाद भी, 2017 में लगभग 20 करोड़ लोगों तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2018 की ग्लोबल कोम्पेटिटिवनेस रिपोर्ट के अनुसार, बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता में हिन्दोस्तान 137 देशों में से 80वें स्थान पर था।

हिन्दोस्तान के इजारेदार पूंजीवादी समूह आई.पी.पी. नीति के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। देश की बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग आधा हिस्सा आज भी टाटा, अडानी, अनिल अंबानी, जिंदल, गोयंका, टोरेंट और कुछ अन्य समूहों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली निजी कंपनियों के पास है।

ये इजारेदार समूह अब राज्य के स्वामित्व वाले कुशल बिजली उत्पादन संयंत्रों पर नज़र डाल रहे हैं। लेकिन, सार्वजनिक उत्पादन संयंत्रों के निजीकरण के कार्यक्रम को बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने जब पन–बिजली संयंत्रों का संचालन निजी कंपनियों को सौंपना चाहा तो बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया था। चूंकि पन–बिजली संयंत्र बिजली का सबसे सस्ता स्रोत हैं, इसलिए इसके निजीकरण से सरकारी वितरण कंपनी (डिस्कॉम) और महाराष्ट्र के लोगों, दोनों को नुक़सान होगा। आंध्र प्रदेश के बिजली मज़दूरों द्वारा इसी तरह का संघर्ष तब छेड़ा गया था, जब राज्य सरकार ने श्री दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर स्टेशन को दीर्घकाल के लिए निजी कंपनी को सौंपने का प्रस्ताव किया था।

जब बिजली उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, तो पूंजीपति बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए दौड़े, क्योंकि उन्हें दीर्घकालिक बिजली ख़रीद के समझौतों (पी.पी.ए.) द्वारा लाभदायक बिक्री का आश्वासन दिया गया था। 1992 में हुई, इस नीति की घोषणा के दो साल के भीतर ही, पूंजीपतियों द्वारा बिजली परियोजनाओं के लिए 138 समझौतों के ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन परियोजनाओं की क्षमता देश की पूरी स्थापित बिजली क्षमता से अधिक थी!

बिजली की एक निश्चित मात्रा की खरीद के लिए 25 साल तक की लंबी अवधि के लिए पी.पी.ए. करार किये गए थे। इसके लिए राज्य बिजली बोर्डों को अगले 25 वर्षों में बिजली की मांग का अनुमान लगाने की आवश्यकता थी। पी.पी.ए. को सही ठहराने के लिए, मांग का अनुमान अक्सर अधिक लगाया गया। कई राज्यों में, अनुबंधित क्षमता उच्चतम मांग से 30 प्रतिशत अधिक है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में 37,896 मेगावाट की आपूर्ति के लिए पी.पी.ए. थे, जबकि इसकी अधिकतम मांग केवल 22,516 मेगावाट थी। इसी तरह, तमिलनाडु में अधिकतम मांग केवल 14,223 मेगावाट थी, लेकिन विद्युत बोर्ड ने 26,975 मेगावाट के लिए पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर किए थे।

2017–18 तक, देश में लगभग 3,34,000 मेगावाट स्थापित क्षमता थी, जिसमें से 2,91,000 दीर्घकालिक पी.पी.ए. के तहत थी। उस वर्ष में अधिकतम मांग केवल 1,64,000 मेगावाट थी।

केंद्र सरकार ने विद्युत विनियामक आयोगों को "लागत प्लस मुनाफ़ा" के आधार पर "लाभकारी" बिजली शुल्क तय करने की सलाह दी है। शुल्क निर्धारण के लिए गारंटीकृत मुनाफ़े की दर

वर्तमान में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 15.5 प्रतिशत और पवन और सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों के लिए 16 प्रतिशत है। यह इक्विटी पर टैक्स के बाद का रिटर्न है। हिन्दोस्तानी उद्योगों के औसत मुनाफ़े की दर की तुलना में, निजी बिजली उत्पादकों के लिए गारंटीकृत मुनाफ़े की दर बहुत अधिक है। सरकार का दावा है कि बिजली उत्पादन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इस तरह की दर की पेशकश करना आवश्यक है।

पी.पी.ए. में आम तौर पर एक प्रावधान होता है कि अगर कोई बिजली वितरण कंपनी समझौते के अनुसार बिजली नहीं लेती है, तब भी उसे उत्पादक को न्यूनतम शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए, एक निजी उत्पादक किसी को बिजली बेचे बिना भी कमाता है जबकि राज्य बिजली बोर्ड बिजली का उपयोग किये बिना भी उन्हें भुगतान करते हैं। यह पी.पी.ए. की एक आवश्यक शर्त है।

इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश का है, जिसकी वितरण कंपनियों ने 2016–17 से 2020–21 की अवधि में निजी उत्पादन कंपनियों द्वारा बिजली की आपूर्ति हुए बिना भी उन्हें "निष्क्रिय क्षमता शुल्क" के रूप में 12,834 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

इस प्रकार, पी.पी.ए. ने यह सुनिश्चित किया है कि इजारेदार पूंजीपतियों की निजी कंपनियां मुनाफ़ा कमाती रहें, जबकि सरकारी कंपनियों का हाल बद से बदतर होता रहे।

सरकार ने हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों की हद से ज्यादा मदद की है। पहले की कुछ परियोजनाओं में, केंद्र सरकार ने निजी बिजली कंपनी को राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बकाया का भुगतान करने के लिए भी गारंटी दी थी।

1990 के दशक में पहली बड़ी निजी बिजली परियोजना एनरॉन नामक एक अमरीकी इजारेदार कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। महाराष्ट्र में एनरॉन परियोजना ने निजीकरण के कार्यक्रम ने जन–विरोधी और समाज–विरोधी चरित्र को पूरी तरह से उजागर कर दिया।

बिजली कर्मचारियों और विभिन्न जन संगठनों ने एनरॉन परियोजना का उस दिन से विरोध किया था, जिस दिन से इसका प्रस्ताव किया गया था। चूंकि यह परियोजना आयातित पेट्रोलियम ईंधन पर आधारित थी, इसलिए उत्पादित बिजली की लागत उस समय की प्रचलित बिजली दर से कई गुना अधिक होने वाली थी। प्रस्तावित क्षमता राज्य की आवश्यकता से बहुत अधिक थी। इस परियोजना ने महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) को दिवालिया बना दिया। लोग पर्यावरण को क्षति और अपने बढ़ते बिजली बिलों के बारे में बहुत चिंतित थे।

जब 1999 में एनरॉन संयंत्र शुरू हुआ, तब एम.एस.ई.बी. को, एक यूनिट बिजली के लिए 7.80 रुपये की ऊंची क़ीमत पर, 2000 मेगावाट बिजली ख़रीदने के लिए मजबूर किया गया, भले ही इसकी आवश्यकता नहीं थी। उपभोक्ताओं ने बिजली के लिए 11 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान किया। बिजली कर्मचारियों और लोगों, दोनों ने अपना विरोध तेज़ कर दिया और राज्य सरकार को एनरॉन के साथ इस पी.पी.ए. को रद्द करने के लिए मजबूर किया। जाना जाता है कि एम.एस.ई.बी. को इस प्रक्रिया में 3,360 करोड़ रुपये का नुक़्सान हुआ।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2019 में अनुमान लगाया था कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, हस्ताक्षर किए गए पी.पी.ए. के कारण उसे

सालाना 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था। लेकिन, केंद्र सरकार ने कहा कि वह पी.पी.ए. की समीक्षा नहीं कर सकती है और उन पर फिर से बातचीत नहीं कर सकती है। ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा कि "बिजली ख़रीद समझौते सभी हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी अनुबंध हैं। यदि अनुबंधों का सम्मान नहीं किया जाता है, तो निवेश आना बंद हो जाएगा। उपर्युक्त कारणों से, सभी पी.पी.ए. को रद्द करना ग़लत है और यह क़ानून के ख़िलाफ़ होगा"।

दूसरी ओर, इजारेदार पूंजीपतियों को पी.पी.ए. का उल्लंघन करने की अनुमति दी गई है। जब गुजरात के समुद्र तट पर टाटा और अडानी के आयातित कोयले से चलने वाले संयंत्रों ने कोयले की क़ीमतों में वृद्धि के कारण, बिजली की क़ीमत में संशोधन करने की मांग की तो अनुबंध की शर्तों की अनदेखी करते हुए, इसकी अनुमति दे दी गई। हाल ही में, जब यूक्रेन में युद्ध के कारण कोयले की क़ीमतें बढ़ गईं, तो इन संयंत्रों ने अपने पी.पी.ए. की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और अपने संयंत्रों को यह कहते हुए बंद कर दिया कि उन्हें दी जा रही बिजली की क़ीमत उत्पादन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

यह स्पष्ट है कि पी.पी.ए. का असली उद्देश्य इजारेदार पूंजीपतियों के लिए गारंटीकृत मुनाफ़े सुनिश्चित करने के साथ–साथ, बिजली उत्पादन को उनके लिए "कम जोख़िम वाला" व्यवसाय बनाना ही रहा है। पी.पी.ए. ने सरकारी बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों की आर्थिक हालत को ख़राब कर दिया है, जिसके ज़रिये उनका निजीकरण के लिए रास्ता तैयार किया गया है। पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को मज़दूरों और अन्य मेहनतकश लोगों से बिजली के लिए अधिक से अधिक दाम वसूल कर सुनिश्चित किया गया है।

बिजली के वितरण का निजीकरण – झूठे दावे और असली उद्देश्य

यदि सरकार बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को संसद में पेश करती है तो लगभग 27 लाख बिजली मज़दूर देशभर में हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार बिजली वितरण के निजीकरण की अपनी योजना को लागू न करे।

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 में राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों को अपनी बिजली की तारों के नेटवर्क को निजी कंपनियों को मामूली शुल्क पर प्रदान करने के लिए मजबूर करने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक धन से निर्मित बिजली वितरण नेटवर्क पूंजीपतियों को उपयोग करने के लिए लगभग मुफ़्त में दिया जा रहा है, ताकि वे बिजली वितरण के व्यवसाय से अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा सकें।

विधेयक में सब्सिडी वाली बिजली की आपूर्ति को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। हर ग्राहक से बिना किसी सब्सिडी के पूरी दर से शुल्क लिया जाएगा। ग्राहकों की किसी श्रेणी को दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी.) योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जैसा कि रसोई गैस सिलिंडर के मामले में किया जाता है। बिजली के पूरे दाम वसूलने का सीधा असर करोड़ों किसानों पर पड़ेगा। इसीलिये किसान बिजली संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। तीन कृषि विधेयकों को निरस्त करते समय केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया था कि उनसे परामर्श किए बिना बिजली संशोधन विधेयक को पास नहीं किया जाएगा।

बिजली वितरण के निजीकरण का समर्थन करने वालों का दावा है कि इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आएगी, जिससे बिजली की आपूर्ति सस्ती दरों पर अधिक कुशल और विश्वसनीय होगी। अब तक के जीवन का अनुभव इन दावों के विपरीत रहा है। ओडिशा पहला राज्य है जहां बिजली के निजीकरण की योजना लागू की गयी थी। वहां वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से कुशलता में कोई सुधार नहीं हुआ या परिचालन घाटे में कमी नहीं आई। मुंबई में बिजली की आपूर्ति दो निजी और एक सार्वजनिक कंपनियां करती हैं; जबकि मुंबई में बिजली की दरें देश की सबसे ऊंची दरों में हैं।

बिजली वितरण के निजीकरण का समर्थन करने वालों का दावा है कि इससे ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों के बीच में से आपूर्तिकर्ता चुनने की स्वतंत्रता होगी। दिल्ली के अलग–अलग इलाकों में टाटा

और रिलायंस घरानों के इजारेदारी वाली दो कंपनियों का नियंत्रण है। ग्राहकों के पास कंपनी चुनने का कोई विकल्प नहीं है। वे किसी न किसी निजी कंपनी के इजारेदारी के आधीन हैं।

यही हाल मुंबई का भी है जहां पर अडानी पावर और टाटा पावर एक ही इलाके में बिजली का वितरण करते हैं। टाटा पावर, अडानी पावर के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इससे ग्राहकों को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होता है। इसके विपरीत, दोनों इजारेदारों ने 12 से 14 रुपये प्रति यूनिट की दर को लागू करके यहां पर बिजली को देश की सबसे महंगी बिजली बना दी है। यह दावा झूठा है कि वितरण का निजीकरण उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनी चुनने की स्वतंत्रता देगा। यह दावा केवल इसीलिये किया जा रहा है ताकि निजीकरण के लिये समर्थन जुटाया जा सके।

चण्डीगढ़

वितरण के निजीकरण की सफाई में दिए गए तर्कों में एक यह है कि इससे वितरण घाटा कम होगा, बिलों के संग्रह में सुधार होगा, जिससे बिजली सस्ती हो जाएगी। राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों को पुराने उपकरणों को बदलने, वितरण के वर्तमान बुनियादी ढांचे का रख–रखाव करने व इसको उन्नत करने के लिए ज़रूरी धन नहीं दिया जाता है। यही देश में अत्याधिक वितरण घाटे का एक प्रमुख कारण है। चूंकि वितरण करने वाली निजी कंपनियां राज्य के स्वामित्व वाले मौजूदा बुनियादी ढांचे का ही उपयोग कर रही हैं, इसीलिये निजीकरण से वितरण घाटे को कम नहीं किया जा सकता। यह दावा भी झूठा है।

बिजली वितरण के निजीकरण का कार्यक्रम पिछले 25 सालों से एजेंडे पर है। गांवों के किसानों से लेकर शहरों के कामकाजी परिवारों तक में इसका व्यापक विरोध हो रहा है। जिसके कारण शासक वर्ग ने पाया है कि निजीकरण के कार्यक्रम में बिजली का निजीकरण करना सबसे कठिन है।

1990 के दशक के दौरान, केंद्र सरकार ने विश्व बैंक और उसकी तथाकथित विशेषज्ञ टीम को विभिन्न राज्य सरकारों के साथ यह नीतिगत संवाद करने की अनुमति दी थी कि बिजली बोर्डों में कैसे सुधार किया जाये। इसका उद्देश्य बिजली बोर्डों के व्यवसाय के विभिन्न हिस्सों में निजी कंपनियों के लिए जगह बनाना था।

इस कार्यक्रम में पहला क़दम था राज्य बिजली बोर्डों को तीन हिस्सों में – उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण

की अलग–अलग संस्थानों में तोड़ना। इसे "अनबंडलिंग" कहा गया। इसका उद्देश्य था कि पूंजीवादी इजारेदार कंपनियां अलग–अलग हिस्सों को एक–एक करके हासिल कर सकें।

बिजली मज़दूर देख सकते थे कि राज्य बिजली बोर्डों को तोड़ना निजीकरण की दिशा में पहला क़दम है। 1999 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किये जा रहे इस तरह के विभाजन के फ़ैसले का मज़दूरों ने कड़ा विरोध किया। जनवरी 2000 में सभी यूनियनें एक साथ आईं और 80,000 से अधिक बिजली मज़दूरों ने काम बंद कर दिया। राज्य सरकार द्वारा उनका दमन किये जाने से दूसरे राज्यों के बिजली मज़दूर नाराज़ हो गए और सभी ने एकजुटता के साथ एक दिन के लिए काम बंद कर दिया।

बिजली अधिनियम 2003 के द्वारा पूरे देश में राज्य बिजली बोर्डों को तोड़ने (अनबंडलिंग करने) का और प्रत्येक राज्य में नियामक आयोगों की स्थापना का क़ानूनी ढांचा प्रदान किया गया। बिजली मज़दूरों ने इन परिवर्तनों का विरोध करना जारी रखा। 2003 के अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद भी, कई राज्य अपने बिजली बोर्डों को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। केरल और हिमाचल प्रदेश के मज़दूर बिजली बोर्ड को तोड़ने से रोकने में सफ़ल रहे। इन सभी राज्यों में, बिजली बोर्ड को उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण करने वाले एकल निगम में बदल दिया गया।

राज्य बिजली बोर्ड बहुत लंबे समय से ख़राब वित्तीय स्थिति में हैं। राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र की दखलंदाज़ी ने बिजली वितरण में अत्याधिक भ्रष्टाचार को जन्म

दिया। विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहकों को बिजली का कोई बिल दिए बिना ही आपूर्ति की जा रही थी या बिल बनाए जाते थे, लेकिन उनके भुगतान नहीं किए जाते थे। विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहकों द्वारा बिलों का भुगतान नहीं करने पर उनके कनेक्शन नहीं काटे जाते थे। राजनीतिक तौर पर प्रभावी लोग राज्य बिजली बोर्डों को लूट कर भाग सकते थे। इसके अलावा, पुराने उपकरणों को बदलने के लिए धन की कमी के कारण पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण के घाटे में लगातार वृद्धि हो रही थी।

इजारेदार पूंजीपतियों ने अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों की ख़राब वित्तीय स्थिति को हल करने के लिए सार्वजनिक धन और प्रशासनिक ऊर्जा का इस्तेमाल न करने का फ़ैसला किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल बिजली वितरण के निजीकरण की सफ़ाई पेश करने के लिए किया। विश्व बैंक के साथ निकट परामर्श पर किए गए इस फ़ैसले के ज़रिये राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बर्बाद कर दिया गया है। उनमें से अधिकांश के पास अब तक बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों और नगर निकायों से भुगतान का भारी बकाया जमा हो गया है। उन्हें अपने संचालन का प्रबंधन करने के लिए हर साल उधार लेना पड़ रहा है। वे कंपनियां कर्ज़ के चंगुल में फंसती जा रही हैं जिससे वे खुद को निकाल नहीं पा रही है।

इजारेदार पूंजीपति राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों की गंभीर स्थिति का फ़ायदा उठा रहे हैं। पूंजीपति बिजली बोर्डों द्वारा पहले से निर्मित नेटवर्क का इस्तेमाल कर

रहे हैं। इस तरह के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करने से, इस तरह के विशाल नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्वक पूंजी की बचत होगी और साथ ही इसके निर्माण के लिये लगने वाला वक़्त भी बचेगा।

हिन्दोस्तान में बिजली वितरण संविधान की समवर्ती सूची में आता है। यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क़ानून बना सकती हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण के निजीकरण पर ज़ोर देने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। कई राज्य सरकारों ने कम या ज्यादा हद तक बिजली वितरण का निजीकरण किया है। इजारेदार पूंजीपति बेसब्री से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश में लागू होने वाला क़ानून पारित करे, जो उन्हें राज्य बिजली बोर्डों के बिजली वितरण नेटवर्क को आसानी से ले लेने की अनुमति देगा।

पटना, बिहार

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 इजारेदार पूंजीपतियों की इन मांगों को पूरा करता है। यह बिजली वितरण में बहुत ही कम निवेश करने पर भी, पहले से स्थापित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके भारी मुनाफ़ा कमाने के उनके उद्देश्य को मान्यता देता है। यह किसानों और ग़रीब शहरी परिवारों की बिजली सब्सिडी में कटौती करने की उनकी मांगों के अनुरूप है। इसे श्रमिकों और किसानों के जनसमूह के व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा है।

चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के वितरण का निजीकरण करने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को मज़दूरों और उपभोक्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में, ग्राहकों को अपने आपूर्तिकर्ता को चुनने के लिए विकल्प देने के दावे को भुला दिया गया है और वितरण को एकाधिकार वाली कंपनी को सौंप दिया गया है।

फरवरी 2022 में बार–बार हड़ताल करके मज़दूरों ने चंडीगढ़ में बिजली के वितरण के निजीकरण को अब तक सफलतापूर्वक रोक रखा है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में बिजली की दरें उत्तरी क्षेत्र में सबसे कम होने की ओर इशारा करते हुए ग्राहकों का समर्थन मांगा है। इसके विपरीत सरकार गोयंका समूह को पूरा विभाग बेचना चाहती है। बिजली का वितरण करने वाली गोयंका समूह की कंपनी कोलकाता में चंडीगढ़ की दर के मुक़ाबले, बिजली को तीन गुना दर पर बेच रही है।

फरवरी 2022 में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के बिजली मज़दूरों और इंजीनियरों द्वारा भी इसी तरह का संघर्ष किया गया

था, जिसने सरकार को यह आश्वासन देने के लिए मजबूर किया कि उनसे परामर्श किए बिना कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। चूंकि सरकार अब अपने आश्वासन से मुकर रही है, मज़दूरों ने निजीकरण के ख़िलाफ़ अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, पहले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ बिजली के राज्य पारेषण (ट्रांसमिशन) उपक्रम का एक संयुक्त उद्यम बनाकर और बाद में इसे एक निजी कंपनी को सौंपकर निजीकरण का प्रयास किया गया था। दिसंबर 2021 में जम्मू–कश्मीर के बिजली मज़दूरों और इंजीनियरों ने आंदोलन में अपनी फौलादी एकता का प्रदर्शन किया। वे जम्मू–कश्मीर के लोगों के समर्थन से इस जन–विरोधी प्रयास को हराने में सफ़ल रहे।

पुदुचेरी

बिजली वितरण के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष तेज़ होता जा रहा है। बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के प्रयासों को अन्य सभी मज़दूरों, किसानों और मेहनतकश लोगों का तहे दिल से समर्थन मिलना चाहिए। यह इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़े बनाने की लालच को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति और सेवाओं के निजीकरण के उनके एजेंडे के ख़िलाफ़ एक आम संघर्ष है।

जम्मू और कश्मीर

बिजली एक सामाजिक आवश्यकता है और एक सर्वव्यापी मानव अधिकार है

बिजली को लेकर जो वर्ग संघर्ष चल रहा है, वह इस बारे में है कि इस महत्वपूर्ण उत्पादक शक्ति का मालिक कौन होना चाहिए और इसके उत्पादन और वितरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। संघर्ष के केंद्र में है समाज में बिजली की भूमिका की परिभाषा।

एक तरफ निजीकरण के पैरोकार हैं। निजीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है बिजली की आपूर्ति को निजी बिजली कंपनियों के लिए अधिकतम मुनाफ़े का स्रोत बनाना। दूसरी तरफ मज़दूर और व्यापक जनसमूह हैं, जो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि बिजली पूरे समाज की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, और यह एक सर्वव्यापी मानव अधिकार है।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि बिजली समाज के जीवित रहने और प्रगति के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। आधुनिक उद्योगों और खदानों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने के लिए और ज़मीन के नीचे से पानी निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां बिजली पर निर्भर हैं। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को देश के विकास के स्तर का संकेतक माना जाता है।

यह भी निर्विवादित सच है कि आधुनिक समाज में बिजली प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। घरों को रोशन करने के लिए इसकी ज़रूरत है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसकी ज़रूरत है। कोरोना वायरस महामारी ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि जिनके घर में बिजली नहीं है, उन्हें बुनियादी शिक्षा भी नहीं मिल सकती। भोजन, आश्रय, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित पेयजल के साथ–साथ, घर में बिजली की उपलब्धता एक सर्वव्यापक मानव अधिकार हैं।

बिजली को सभी मनुष्यों के अधिकार के रूप में परिभाषित करने का अर्थ है कि राज्य सभी के लिए सस्ती दरों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। निजीकरण का मतलब है बिजली की आपूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप देना। इसका मतलब है कि राज्य अपने कर्तव्य से इंकार कर रहा है। वह मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।

निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए बिजली का उत्पादन और वितरण दोनों को अधिकतम लाभ के स्रोतों में परिवर्तित

पुणे, महाराष्ट्र

करने के उद्देश्य और दृष्टिकोण से निजीकरण का कार्यक्रम प्रेरित है। मज़दूर वर्ग और पूरी प्रगतिशील मानवता का उद्देश्य और दृष्टिकोण है कि पूरे समाज की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली की आपूर्ति का लगातार विस्तार करना। निजीकरण का कार्यक्रम इसके साथ पूरी तरह से असंगत है।

बिजली का उत्पादन और वितरण या तो निजी लाभ को अधिकतम करने के लिए हो सकता है या फिर सस्ती दरों पर सर्वव्यापी पहुंच को सक्षम करने के लिए उसे उन्मुख किया जा सकता है। इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल करना संभव नहीं है।

हाल के दशकों में किए गए बिजली उत्पादन के ठोस निजीकरण ने बिजली को सस्ता नहीं बनाया है। उसने बिजली को सभी के लिए सुलभ नहीं बनाया है। बिजली वितरण के

निजीकरण से बिजली लोगों की खरीद क्षमता से बाहर हो जाएगी। वह दूर–दराज़ के क्षेत्रों को नियमित बिजली से वंचित करेगा।

इजारेदार पूंजीपतियों को गारंटीशुदा लाभ प्रदान करने के लिए निजीकरण का इस्तेमाल किया गया है। राज्य के स्वामित्व वाले बिजली बोर्डों और वितरण कंपनियों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना दिया गया है, ताकि उन्हें निजी कंपनियों को बेहद कम क़ीमत पर बेचने की स्थिति पैदा की जा सके।

हिन्दोस्तान में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अन्य देशों से बहुत कम है। चीन में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत हिन्दोस्तान की तुलना में लगभग साढ़े चार गुना है। इंग्लैंड में वह साढ़े तीन गुना है। संयुक्त राज्य अमरीका में, वह हिन्दोस्तान में प्रति व्यक्ति खपत का नौ गुना है। हिन्दोस्तान के भीतर, एक राज्य से दूसरे राज्य में भारी भिन्नताएं हैं। बिहार और असम में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत का केवल एक चौथाई है। उत्तर–औपनिवेशिक विकास के 75 वर्षों के बाद भी, करोड़ों ग्रामीण और शहरी घरों में बिजली नहीं है, या उसकी पहुंच बहुत अपर्याप्त है।

सभी लोगों की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने और औद्योगिक उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि को सक्षम करने के लिए, योजनाबद्ध तरीक़े से बिजली उत्पादन और वितरण का विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा को पूर्णतः बदलने की आवश्यकता है। वर्तमान दिशा हिन्दोस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय इजारेदार पूंजीपतियों के लिए

अधिकतम लाभ उत्पन्न करने की तरफ है। इसको उलटना होगा। पूरी आबादी की बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संभव पूर्ति के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण को संचालित करने की आवश्यकता है।

बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ किया जा रहा संघर्ष, अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी दिशा को बदलने के संघर्ष का एक अनिवार्य भाग है। इजारेदार पूंजीवादी लालच के बजाय मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में अर्थव्यवस्था को चलाने की ज़रूरत है। मज़दूर वर्ग को किसानों और अन्य सभी उत्पीड़ित जनता के साथ मिलकर राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेना होगा। तभी अर्थव्यवस्था की वर्तमान दिशा को बदला जा सकता है। बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ किये जा रहे संघर्ष को इस नज़रिये के साथ करना होगा।

उत्तर प्रदेश

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के प्रकाशन

किसान आन्दोलन के सामने कुछ सवाल

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के साथ साक्षात्कार, अक्तूबर 2021, हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध, क़ीमत 25 रुपये

भारतीय रेल का निजीकरण हमें मंजूर नहीं

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित लेखों का संकलन, अक्तूबर 2021, हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध, क़ीमत 20 रुपये

देश के नव–निर्माण के संघर्ष में महिलाएं आगे–आगे!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 8 मार्च, 2021, हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित (मार्च 2021)

यह धर्म–युद्ध है मज़दूरों और किसानों का, अधर्मी राज्य के ख़िलाफ़!

हिन्दी, पंजाबी व अंग्रेजी में प्रकाशित (जनवरी 2021)

बैंकों का विलय और निजीकरण

हिन्दी, पंजाबी व अंग्रेजी में प्रकाशित (सितंबर 2020) क़ीमत 10 रुपये

हुक्मरान वर्ग का ख़तरनाक साम्राज्यवादी रास्ता

हिन्दी, पंजाबी व अंग्रेजी में प्रकाशित (अगस्त 2019) क़ीमत 10 रुपये

भारतीय रेल के निजीकरण को एकजुट होकर हरायें

हिन्दी, पंजाबी व अंग्रेजी में प्रकाशित (मई 2018) क़ीमत 20 रुपये

ग़दरियों की पुकार – इंक़लाब

हिन्दी, पंजाबी व अंग्रेजी में प्रकाशित (संशोधित संस्करण, फरवरी 2018) क़ीमत 100 रुपये

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के पांचवें महाअधिवेशन की रिपोर्ट

हिन्दी, पंजाबी व अंग्रेजी में प्रकाशित (अक्तूबर, 2017) क़ीमत 100 रुपये

संपर्क करें : लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली–110020
मोबाईल/वाट्सअप नं. 9868811998, 9810167911

तमिलनाडु

नोएडा, उत्तर प्रदेश

पाठक बनें

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

मज़दूर वर्ग का राज स्थापित करने के प्रति समर्पित

अपनी आवाज़ बुलंद करें!

मज़दूर एकता लहर आह्वान करती है कि अपने कार्यक्षेत्र में व आस-पास के मज़दूरों की समस्याओं और संघर्षों तथा अपने विचारों से हमें अवगत करायें।

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम से भेजें

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो. – 9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं. – 9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2,

नई दिल्ली–110020

+91 9810167911

http://www.cgpi.org, youtube:Lal Ghadar
https://www.facebook.com/ghadarparty.in/

WhatsApp
09868811998